बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में रू0 पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान के संदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अंशदान पर आयकर के प्रावधानों के अध्यधीन उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान अनुमान्य किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के वापस करने के संबंध में ।

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या—1327 दिनांक—26.12.2022 द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11(1)(ख) के पश्चात परंतुक जोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2022—23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में रू0 5(पाँच) लाख की अधिसीमा निर्धारित की गयी है ।

2. चूँकि वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या—1327 दिनांक—26.12.2022 वित्तीय वर्ष 2022—23 के लगभग अंतिम चरण दिसम्बर माह में निर्गत हुआ था, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2022—23 के संदर्भ में ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं जहाँ उपर्युक्त अधिसीमा का अनुपालन नहीं हो सका एवं पांच लाख रू0 से अधिक की राशि संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा हो गया है । चूँकि अंशदाता पांच लाख रूपया की अधिसीमा से दिसम्बर, 2022 के बाद ही अवगत हो सके, अतः ऐसे मामलों में ब्याज को अनुमान्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

3. उपरोक्त के संदर्भ में पत्रांक—1583 दिनांक—04.04.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 में भविष्य निधि मद में पांच लाख रूपये से अधिक जमा राशि पर ब्याज की देयता के संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया गया। पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक—3/6/2021—P&PW(F) दिनांक—02.05.2024 एवं दिनांक—03.05.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 में रू0 पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर एवं आयकर के प्रावधानों के अध्यधीन ब्याज का भुगतान अनुमान्य किया गया है ।

.......................2

4. उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं भारत सरकार के प्रावधान को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान के संदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अंशदान पर आयकर के प्रावधानों के अध्यधीन उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान अनुमान्य होगा ।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी कतिपय अंशदाताओं द्वारा भविष्य निधि अंशदान हेतु निर्धारित अधिसीमा रू0 पांच लाख से अधिक राशि का अंशदान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में सभी अंशदाताओं को भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित अधिकतम राशि की जानकारी थी । अतः ऐसे मामले में निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के संबंधित अंशदाता को वापस कर दिया जाएगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(दीपक आनन्द)

सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक– जी0पी0एफ0–01–315/2022 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(दीपक आनन्द)

सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक– जी0पी0एफ0–01–315/2022 631(वि0) पटना, दिनांक– 26.6.2024

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/प्रभारीपदाधिकारी, ई–गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/06/24

(दीपक आनन्द)

सचिव(व्यय) ।

26.6.24